(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal for creation of two posts of Director (Safety & Training), oone each in Eastern Coalfields Limited (ECL) and Bharat Coking Coal Limited (BCCL) was approved by the Board of Directors of Cool India Limited (CIL) in September, 1989.

(c) to (e) Experienced and senior officers of the rank of Chief General Manager, who are competent to effectively take care of the safety requirements of their respective companies head the Safety Division in ECL and BCCL. Creation of posts at Director level has not been agreed as the post in itself is not expected to improve the safety status.

कोयले की ढुलाई के लिए सड़कों का निर्माण

5059. **श्री आस मोहम्मद** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोयले की ढुलाई के लिए बिहार की सड़कों को पक्का करने और चौड़ा करने संबंधी कोई प्रस्ताव लम्बित है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) । (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कोयला नियंत्रण आदेश का कार्यान्वयन

5060. **श्री संघ प्रिय गौतम** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला नियंत्रण आदेश को कार्यान्वित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त आदेश को कार्यान्वित किए जाने के बाद लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार कोयला नियंत्रण आदेश का प्रतिसंहरण करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) इस संबंध में शायद माननीय सदस्य कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 4-6-92 की अधिसूचना का उल्लेख कर रहे हैं जिनके द्वारा अ-कोककर कोयले के वितरण को इस आदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया है । इस अधिसूचना को अ-कोककर कोयले के अनाधिकृत रूप में परिवर्तन किए जाने संबंधी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था ।

(ग) से (ङ) कोलियरी नियंत्रण आदेश को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अंतर्गत प्रवृत्त रखा गया है । कोयला वितरण, कोयला ग्रेड का निर्धारण, कोयले के विभिन्न ग्रेडों के लिए कीमत निर्धारण, आदि सहित विभिन्न मामलों से निपटने के लिए उक्त आदेश में प्रावधान दिए गए हैं । इन प्रावधानों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल संशोधित किया जा सकता है ।

किन्तु सरकार का कोलियरी नियंत्रण आदेश को पूर्णत: वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Plan of CIL to uplift the weaker section

5061. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the total amount spent throughout the country in the peripheral areas for the welfare and upliftment of the weaker section of the community by all the units and subsidiaries of Coal India Ltd. till date; and

(b) the details of the programmes undertaken by various units and subsidiaries under Coal India Ltd. in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINSITRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) As per information furnished by Coal India Limited an amount of Rs. 25.86 crores has been spent by the subsidiaries of Coal India Limited till date in the peripheral areas for the upliftment of weaker sections of the community.

The programmes undertaken in this regard include sinking of wells, construction of bus stands, rest sheds, construction of village roads, installation of hand pumps, construction of children parks, sulabh sauchalaya, community centres, library & adult education centre etc. Distribution of clothes, reading and writing materials to village children and aged persons and other such works are also taken up under the comomunity development programme.

एस० ई० सी० एल० में प्रशिक्षितियों को भत्ते

5062. **श्री राघवजी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० ई० सी० एल० में 48 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले श्रमिकों को दैनिक भत्ता और स्टाइपेन्ड कितना-कितना दिया जाता है ;

(ख)) क्या यह सच है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम वर्ष 1956 में बनाए गए थे और तब से लेकर अब तक उपर्युक्त भुगतान में कोई वृद्धि नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (सा०ई०कोल०) प्रत्येक व्यक्ति को, जोकि 48 दिन का प्राथमिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे मजदूरी के बराबर की राशि (भत्ता सहित) प्रशिक्षण पूरा किए जाने के बाद रोजगार दिए जाने पर देय मजदूरी की अदायगी की जाती है । खान व्यवसाय प्रशिक्षण नियमों के अंतर्गत प्रत्येक हाजिरी के दिन के लिए दैनिक भत्ते के रूप में अदायगी की जाती है ।

(ख) और (ग) इस बारे में संगत नियमों को 1966 में बनाया बया था और अभी तक इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है :

वर्ष 1991–95 में एस० ई० सी० एल० का गैर-योजना व्यय

5063. **श्री राघवजी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एस० ई० सी० एस० का गैर-योजना व्यय वर्ष वार कितना-कितना था ;

(ख) क्या इस व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और